— किया है जिसे वादी ने स्वीकार कर ईकबाल दावा भी पेश

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुरेन्द्रसिह पुरोहित (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 294 सन 2019

अनवान :–

1. मंगतुराम 2 जयप्रकाश पुत्र मनीराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. मनीराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री विजयसिह कडवासरा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 13/9/19

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की खाता संख्या 45/67 के प0न0 255//384 (42) के किला न0 14/2 की 0.21505 ,15/2 की 0.2024 ,16/0.2530 ,17/0.2530 ,18/0.2530 ,24/0.2530 ,25/0.2530 कुल 1.68245हैव में से 1/5 हिस्सा रोही मौजा चक 1 बी बारानी एंव खाता संख्या 153/244 के खसरा न0 2/2 की 0.2150, 48/2 की 2.8080हैक , खसरा न0 188/0.9480 हैक व खसरा न0 191/4 की 0.5440 हैक व खसरा न0 253/2.1500हैक , खसरा न0 255/1 की 4.1610हैक्व खसरा न0 269/4 की 0.8450हैक कुल 13.6710हैव में से 1/5 हिस्सा भूमि रोही मौजा ढण्ढेला बारानी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 मनीराम के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा सुरजाराम पुत्र बस्तीराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा सुरजाराम पुत्र बस्तीराम का देहान्त होने पर वाद भूमि उनके पुत्रो के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा सुरजाराम पुत्र बस्तीराम के देहान्त होने के बाद विरारतन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है पैतृक सम्पति है जिसमें वादी का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिव के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता सुरजाराम पुत्र बस्तीराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की खाता संख्या 45/67 के प0न0 255//384 (42) के किला न0 14/2 की 0.21505 ,15/2 की 0.2024 ,16/0.2530 ,17/0.2530 ,18/0.2530 ,24/0.2530 ,25/0.2530 कुल 1.68245हैक में से 1/5 हिस्सा रोही मौजा चक 1 बी बारानी एंव खाता संख्या 153/244 के खसरा न0 2/2 की 0.2150, 48/2 की 2.8080हैक , खसरा न0 188/0.9480 हैक व खसरा न0 191/4 की 0.5440 हैक व खसरा न0 253/2.1500हैक , खसरा न0 255/1 की 4.1610हैक्व खसरा न0 269/4 की 0.8450हैक कुल 13.6710हैक में से 1/5 हिस्सा भूमि रोही मौजा ढण्ढेला बारानी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 मनीराम के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा सुरजाराम पुत्र बस्तीराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा सुरजाराम पुत्र बस्तीराम का देहान्त होने पर वाद भूमि उनके पुत्रो के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा सुरजाराम पुत्र बस्तीराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है पैतृक सम्पति है जिसमें वादी का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है। जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निरतारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार की खाता संख्या 45/67 के प0न0 255//384 (42) के किला न0 14/2 की 0.21505 ,15/2 की 0.2024 ,16/0.2530 ,17/0.2530 ,18/0.2530 ,24/0.2530 ,25/0.2530 कुल 1.68245हैक में से 1/5 हिस्सा रोही मौजा चक 1 बी बारानी एंव खाता संख्या 153/244 के खसरा न0 2/2 की 0.2150, 48/2 की 2.8080हैक , खसरा न0 188/0.9480 हैक व खसरा न0 191/4 की 0.5440 हैक व खसरा न0 253/2.1500हैक , खसरा न0 255/1 की 4.1610हैक्व खसरा न0 269/4 की 0.8450हैक कुल 13.6710हैक में से 1/5 हिस्सा भूमि रोही मौजा ढण्ढेला बारानी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 मनीराम के नाम से दर्ज है।

प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत सम्वत 2057 रोही मोजा ढण्ढेला बारानी एवं जमाबन्दी सम्वत 2049 रोही मोजा चक 1 बी बारानी के अनुसार पूर्व में वाद भूमि वादी के दादा सुरजाराम पुत्र बस्तीराम के नाम से दर्ज थी वादी के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता सुरजाराम पुत्र बस्तीराम एवं वादी की दादी वख्तावरीदेवी के देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या– 1 के नाम से दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिरसा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से साबित हो चुका है कि वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा सुरजाराम पुत्र बस्तीराम के नाम से दर्ज थी वादी के दादा सुरजाराम व उसकी दादी वख्तावरी के देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमे वादी एवं प्रतिवादी

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे वादी ने स्वीकार कर ईकबाल दावा भी पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि खाता संख्या 45/67 के प0न0 255//384 (42) के किला न0 14/2 की 0.21505 ,15/2 की 0.2024 ,16/0.2530 ,17/0.2530 ,18/0.2530 ,24/0.2530 ,25/0.2530 कुल 1.68245हैक में से 1/5 हिस्सा रोही मौजा चक 1 बी बारानी एंव खाता संख्या 153/244 के खसरा न0 2/2 की 0.2150, 48/2 की 2.8080हैक , खसरा न0 188/0.9480 हैक व खसरा न0 191/4 की 0.5440 हैक व खसरा न0 253/2.1500हैक , खसरा न0 255/1 की 4.1610हैकव खसरा न0 269/4 की 0.8450हैक कुल 13.6710हैक में से 1/5 हिस्सा भूमि रोही मौजा ढण्ढेला बारानी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 मनीराम के नाम से दर्ज है में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 तीनों खातेदार काश्तकार है घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 13/09/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. मंगतुराम 2 जयप्रकाश पुत्र मनीराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ। वादी

बनाम

1 मनीराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ। प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 249 सन 2019 निर्णय दिनांक– 13/09/2019

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्रसिंह पुरोहित उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि खाता संख्या 45/67 के प0न0 255/ /384 (42) के किला न0 14/2 की 0.21505 ,15/2 की 0.2024 ,16/0. 2530 ,17/0.2530 ,18/0.2530 ,24/0.2530 ,25/0.2530 कुल 1.68245हैक में से 1/5 हिस्सा रोही मौजा चक 1 बी बारानी एंव खाता संख्या 153/244 के खसरा न0 2/2 की 0. 2150, 48/2 की 2.8080हैव , खसरा न0 188/0.9480 हैक व खसरा न0 191/4 की 0. 5440 हैक व खसरा न0 253/2.1500हैव , खसरा न0 255/1 की 4.1610हैक्व खसरा न0 269/4 की 0.8450हैक कुल 13.6710हैक में से 1/5 हिस्सा भूमि रोही मौजा ढण्ढेला बारानी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 मनीराम के नाम से दर्ज है में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 तीनों खातेदार काश्तकार है घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/09/19 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner